न्यायालय उप जिला कलेक्टर टोडाभीम

क	फर्द अहकाम	
	मु॰नं॰ 102/17 तारीख रजू 31-7-17 उनवान – सूरबाई बनाम रामखिलाड़ी उर्फ गाट दावा बाबत स्थायी निषेधाज्ञा वादी की ओर से श्री मनोज कुमार शर्मा एडवोकेट ने दावा बाबत स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 के तहत प्रस्तुत किया। जमाबन्दी का अवलोकन किया गया। दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगणों को जरिये सम्मन से तलब किया जाकर पत्रावली दि॰ 22-8-17 को पेश हो। जगदीश आर्य उपजिला कलक्टर टोडाभीम	4374-77 28-7-17
29/8/17	22.8.17 को कर्मचारी हड़ताल के कारण दि॰ 26.9.17 जनरल पेशी नियत की गयी थी। प्रतिवादी द्वारा शीघ्र सुनवाई का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर आज तलब की गयी प्रतिवादी को सुना गया। सुनकर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। शीघ्र सुनवाई हेतु वकील को आदेश दिये जाते हैं कि प्रतिवादी / वादीगण को तलब करने हेतु नोटिस तलबाना पेश करे। तलबाना पेश होने पर नोटिस जारी कर दिनांक 5.9.17 को पेश हो।	4561 29.8.17
5/9/17	प्रतिवादी वकील उपस्थित। वादीगण के नोटिस शीघ्र सुनवाई के लिए जारी किये गये थे। जिन की तामिल विधिवत नहीं हुई है। पुनः तलबाना पेश करे। नोटिस जारी कर दि॰ 12/9/17 को पेश हो।	

Scanned by CamScanner

न्यायालय उप जिला कलेक्टर टोडा

दिनांक	फर्द अहकाम
12.9.17	वकुलाय उप. / प्रार्थी वकील ने प्र. की नकल दिलाने का एतराज दर्ज कराया / नकल प्र. दिलाई गई / वास्ते जवाब प्र. एवं बहस दि० 19.9.17 को पेश हो /
19.9.17	वकुलाय उप. / शीघ्र सुनवाई की सुनवाई नजदीक दी है दि० 26.9.17 को पेश हो / जगदीश आर्य उपजिला कलक्टर टोडाभीम
26.9.17	वकुलाय उप० / प्रतिवादी वकील ने पूर्व में ही जवाब दावा पेश किया हुआ है जवाब दावा की नकल वादी वकील ने आज प्राप्त की / प्र० 07 R.11 CPC की नकल वादी वकील को दिलाई / पत्रावली वास्ते जवाब प्र० 07 R.11 CPC दिनांक 6.10.17 को पेश हो /
6.10.17	पत्रावली पेश हुई / वकुलाय उपस्थित / वादी वकील ने प्र० 07 R.11 CPC का जवाब पेश नहीं किया / प्रार्थी / प्रतिवादी वकील ने प्र० 07 R.11 CPC पर बहस सुनने का कथन किया / वादी वकील भी बहस करने सहमत हुए / वकील उभय पक्ष की बहस सुनी गई / प्रार्थी / प्रतिवादी वकील ने बहस प्रारम्भ करते हुए कथन किया

Scanned by CamScanner

उनवान - भूरबाई बनाम रामखिलाड़ी

न्यायालय उप जिला कलेक्टर टोडाभीम

फर्द आहकाम

कि वादपत्र में वर्णित भूमि खसरा नम्बर 470 रकबा 0.18 हैं० किस्म आबादी ग्राम चक गाजीपुर को किस्म आबादी दर्ज है, आबादी की भूमि है तथा रेवन्यू रिकार्ड जमाबंदी में भी किस्म आबादी दर्ज है। पूर्व में इस खसरा नम्बर की भूमि की किस्म चाही थी। संपरिवर्तन आदेश से भूमि की किस्म आबादी में परिवर्तित हुई है। नामा० संख्या 110 दिनांक 11.11.2005 से सम्पूर्ण रकबा किस्म चाही से गैर मुमकिन आबादी स्वीकृत हुआ है। जमाबन्दी संवत 2059 से 2062 में नोट अंकित है। वादिया ने न्यायालय हाजा को मुगालता देकर वास्तविक तथ्यों को छुपाकर यह वाद पत्र प्रस्तुत किया है। भूमि की किस्म गैर मुमकिन आबादी दर्ज होने से न्यायालय हाजा रेवन्यू कोर्ट को ऐसी भूमि के संबंध में सुनवाई का क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है इसलिए वादिया का दावा खारिज फरमाया जावे।

अप्रार्थी/वादिया वकील ने कथन किया कि दावा सही प्रस्तुत किया है वादिया के नाम भूमि दर्ज है। वादपत्र की सुनवाई जारी रखी जावे तथा प्रतिवादी/प्रार्थी का प्रार्थना पत्र 07 R 11 CPC खारिज किया जावे। प्रतिकथन किया कि माननीय न्यायालय को आबादी किस्म की भूमि के संबंध में सुनवाई का क्षेत्राधिकार ही नहीं है

न्यायालय उप जिला कलेक्टर टोडाभीम

दिनांक	फर्द अहकाम
	इसलिए दा० 07 R.11 CPC स्वीकार करते हुए दावा खारिज किया जावे। आबादी मे संपरिवर्तित होने संबंधी नामा० का जेर दर्ज होने की नकल जमाबंदी सम्वत 2059-2062 प्रस्तुत की। वकील उभय पक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली मे शामिल नकल जमाबन्दी संवत 2059-2062 मे दर्ज नामा० संख्या 110 दिनांक 11.11.2005 के अनुसार भूमि की किस्म चाही प्रथम से भूमि की किस्म संपरिवर्तन आदेश से गै०मु० आबादी दर्ज हो चुकी है इस प्रकार वाद पत्र मे वर्णित भूमि खसरा नम्बर 470 रकबा 0.18 है० कृषि भूमि नहीं रही है। भूमि की किस्म कृषि भूमि से भिन्न गै० मु० आबादी होने से इस वाद पत्र की सुनवाई इस राजस्व न्यायालय में किया जाना उचित नहीं है। इसलिए प्रार्थी/प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 07 R.11 CPC स्वीकार किये जाने योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। तथा यह दावा खारिज किया जाता है। पर्चा डिक्री पृथक से जारी हो। निर्णय आज दिनांक 6.10.17 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Scanned by CamScanner